

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 7(10)प्राशि/आयो/2018

जयपुर, दिनांक: 09.01.2019

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा अभियान,
जयपुर।

- विषय:- बी.एड. एवं डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालयों आवंटन से वंचित प्रशिक्षणार्थियों के रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल खोले जाने के संबंध में।
संदर्भ:- सहायक निदेशक, शाला दर्पण, इन्टरनेट सेल से प्राप्त ई-मेल दिनांक 7.1.18

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत ई-मेल के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि बी.एड. एवं डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थी जो किन्हीं कारणों से इंटर्नशिप हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए और इंटर्नशिप से वंचित रह गए हैं। उन प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु स्कूल चॉइस फिल करने के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से दिनांक 10.01.2019 से 12.01.2019 तक (3 दिवस) हेतु पोर्टल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ज्योति चौहान)
शासन-उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. उपायुक्त (शालादर्पण) समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. समसा, जयपुर।
8. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर।
9. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।
10. समस्त, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
11. उप निदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ समसा, जयपुर।
12. सहायक निदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ समसा, जयपुर।
13. कार्यक्रम अधिकारी, शालादर्पण प्रकोष्ठ समसा, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


(एस. एन. यादव)
अनुसंधान अधिकारी